न्यायालय – अपर सेशन न्यायाधीश कामां, जिला डीग (राज0)

पीठासीन अधिकारी : डॉ. मनोज तिवारी, (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

विविध आपराधिक प्रकरण संख्या : 860/2026
सीआईएस नंबर : 829/2026

सीएनआर नंबर : RJDE080010162026

1. याकूब उर्फ नक्चा पुत्र मुंशी, उम्र 65 वर्ष, निवासी गांवड़ी, पुलिस थाना जुरहरा, जिला डीग (राजस्थान)।
2. जहीर पुत्र याकूब, उम्र 26 वर्ष, निवासी गांवड़ी, पुलिस थाना जुरहरा, जिला डीग (राजस्थान)।

----प्रार्थीगण/अभियुक्तगण

ब ना म

राजस्थान राज्य, जरिए अपर लोक अभियोजक, कामां, जिला डीग।

–अप्रार्थी

जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 328/2025 पुलिस थाना जुरहरा, अपराध अन्तर्गत धारा 115(2), 126(2), 118(2), 109, 3(5) भारतीय न्याय संहिता।

उपस्थिति :–

1. श्री कैलाश चन्द गुप्ता, विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रार्थीगण/अभियुक्तगण।
2. श्री धनेश कुमार, परशुराम, विद्वान अधिवक्ता वास्ते परिवादी सोयेब।
3. श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, विद्वान अपर लोक अभियोजक वास्ते राज्य।

आ दे श **दिनांक : 09.06.2026**

1. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 480 के अधीन प्रस्तुत जमानत आवेदन विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 01.06.2026 को खारिज करने से व्यथित होकर यह धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसकी नकल अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई एवं संबंधित अनुसंधान पत्रावली तलब की गई। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

2. विद्वान अधिवक्ता, प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के दौराने बहस तर्क रहे हैं कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का आरोपित अपराध से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, उन्हें इस प्रकरण में कतई झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण से किसी प्रकार की कोई बरामदगी होना शेष नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण न्यायालय क्षेत्राधिकार के स्थाई निवासी हैं, जिनके फरार होने का कोई अंदेशा नहीं है और ना ही गवाहान को टैम्परविद किये जाने का कोई अंदेशा है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण न्यायालय के आदेशानुसार

न्यायालय संतोष की जमानत देने को तैयार व तत्पर हैं। अन्त में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया।

3. इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक व विद्वान अधिवक्ता परिवादी द्वारा उक्त तर्कों का विरोध करते हुए तर्क दिया कि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा **115(2), 126(2), 118(2), 109, 3(5) भारतीय न्याय संहिता** के तहत गम्भीर अपराधों का आरोप प्रमाणित है। प्रकरण में अभी अनुसंधान लम्बित है। अन्त में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का जमानत आवेदन अस्वीकार कर खारिज किये जाने का निवेदन किया।

4. प्रकरण में दिनांक 27.10.2025 को परिवादी श्री सोहेब खान द्वारा प्रस्तुत तहरीरी रिपोर्ट पर पुलिस थाना जुरहरा पर मु.नं. 328/2025 धारा 189(2), 115(2), 126(2), 74 भारतीय न्याय संहिता में दर्ज कराये जाने पर अनुसंधान प्रारंभ किया गया एवं दौराने अनुसंधान प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 115(2), 126(2), 118(2), 109, 3(5) भारतीय न्याय संहिता में जुर्म प्रमाणित पाये जाने पर उनको दिनांक 26.05.2026 को गिरफ्तार किया गया।

5. केस डायरी में उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध हस्तगत प्रकरण के अतिरिक्त दर्ज आपराधिक प्रकरणों की सूची निम्न प्रकार है–

प्रार्थी/अभियुक्त याकूब उर्फ नक्चाः–

क्र. सं.	**मुकदमा नंबर**	**धारा**	**नतीजा व पुलिस थाना**
01.	140/11	323, 341 आई.पी.सी.	76/31.07.2011
02.	151/15	379 आई.पी.सी.	102/20.09.15
03.	16/94	143, 323, 341 आई.पी.सी.	--
04.	73/02	323, 341, 34 आई.पी.सी.	48/30.06.02
05.	140/11	323, 341, 504, 34 आई.पी.सी.	76/31.07.11
06.	237/07	--	पुलिस थाना डीग
07.	385/07	--	पुलिस थाना डीग
08.	151/15	379, 215 आई.पी.सी.	102/20.09.15 पी.एस. जुरहरा
09.	112/15	323, 341, 504, 34 आई.पी.सी.	117/01.11.25 पी.एस. जुरहरा
10.	140/17	323, 341, 504, 34 आई.पी.सी.	75/26.07.17
11.	17/25	115(2), 126(2), 3(5) बी.एन.एस.	46/31.05.25

प्रार्थी/अभियुक्त जहीरः–

क्र. सं.	**मुकदमा नंबर**	धारा	थाना	सी.एस. नं.
01.	140/2017	323, 341, 504, 34 IPC	--	75/26.07.2017

6. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं अनुसंधान पत्रावली व पुलिस द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अनुसंधान पत्रावली व तथ्यात्मक रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध परिवादी पक्ष के साथ जान से मारने की नियत से मारपीट किए जाने संबंधी धारा **115(2), 126(2), 118(2), 109, 3(5) भारतीय न्याय संहिता** के अपराधों के प्रथमदृष्टया आरोप प्रमाणित हैं, जो कि गम्भीर प्रकृति के हैं। अभियोजन के अनुसार घटना में धारदार हथियार से चोट कारित की गई है तथा आहत के सिर जैसे महत्वपूर्ण अंग पर sharp weapon injury कारित होना चिकित्सकीय अभिलेख से समर्थित होना दर्शित है। चोट का स्थान, प्रयुक्त हथियार की प्रकृति एवं घटना की परिस्थितियां इस स्तर पर आरोपों की गंभीरता को दर्शाती हैं। इसके अतिरिक्त प्रार्थी/अभियुक्त याकूब उर्फ नक्चा के विरूद्ध हस्तगत प्रकरण के अलावा मारपीट किए जाने से संबंधी गम्भीर अपराधों के आरोपों सहित कुल 11 अन्य आपराधिक प्रकरण तथा प्रार्थी/अभियुक्त जहीर के विरूद्ध हस्तगत प्रकरण के अलावा मारपीट किए जाने से संबंधित एक अन्य आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने बाबत् अभिलेख अनुसंधान पत्रावली पर संलग्न है, जिससे प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का आदतन आपराधिक प्रवृति का होना दर्शित होता है। इस संबंध में **माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टान्त नीरू यादव बनाम उत्तरप्रदेश राज्य (2014) 16 एस.सी.सी. 508** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि **"अभियुक्तगण को जमानत का लाभ प्रदान करते समय न्यायालय को उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि एवं अन्य परिस्थितियों पर भी विचार करना चाहिए।"** यदि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाता है तो उनके द्वारा पुनः अपराध कारित किए जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों, अपराध की गंभीरता एवं प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की आपराधिक पृष्ठभूमि को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

आ दे श

5. फलस्वरूप प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **1. याकूब उर्फ नक्चा पुत्र मुंशी, उम्र 65 वर्ष तथा 2. जहीर पुत्र याकूब, उम्र 26 वर्ष, निवासीयान गांवड़ी, पुलिस थाना जुरहरा, जिला**

डीग (राजस्थान) की ओर से प्रस्तुत यह जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एतद्द्वारा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

6. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा SMW (Cri) No. 4/2021 में पारित आदेश दिनांकित 31-01-2023 की पालना में आदेश की प्रति अभियुक्तगण को सूचित करने हेतु संबंधित कारागृह को जरिये ई–मेल भिजवाई जावे।

(डॉ. मनोज तिवारी)
अपर सेशन न्यायाधीश,
कामां, जिला डीग

7. आदेश आज दिनांक **09.06.2026** को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर सुनाया गया।

(डॉ. मनोज तिवारी)
अपर सेशन न्यायाधीश,
कामां, जिला डीग